लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना बावत् राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 30.01.2014 का कार्यवाही विवरण –

....

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 (E) दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध मे लोक सुनवाई दिनांक 30.01.2014 दिन – गुरूवार, को ग्राम– शाहनगर के शासकीय स्कूल परिसर तहसील – शाहनगर, जिला – पन्ना (म.प्र.) में सम्पन्न की गई। लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, (विकास) पन्ना, श्रीमती भावना वालिंबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से व्ही. एस.राय, क्षेत्रीय अधिकारी सागर, उनके सहायक के रूप मे उपस्थित थे।
2. पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई दिनाक 30.01.14 के संबंध मे आम सूचना का प्रकाशन क्षेत्र मे वितरित होने वाले स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, स्टार समाचार एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 23.12.2013 को कराया गया था तथा परियोजना के संबंध मे पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट, उसका कार्यपालक सार (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तथा उसकी डिजिटल प्रतिकृति सी.डी. के रूप मे महाप्रबंधक जिला उद्योग एव व्यापार केन्द्र पन्ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) शाहनगर, पन्ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, शाहनगर सहित जिलाध्यक्ष कार्यालय जिला – पन्ना, में जन सामान्य के अवलोकन हेतु एक माह पूर्व से ही रखवा दी गई थी। लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य की जानकारी एवं उपस्थिति हेतु कई स्थानों पर बैनर लगाए गए तथा मुनादी कराई गई।

3. लोक सुनवाई के दौरान पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मे. व्योयन्अस साल्यूशन प्रा.लि. की ओर से मोहम्मद सदरे आलम खान, डिप्टी मैनेजर तथा जल संसाधन विभाग की ओर से श्री डी.के.जैन, कार्यपालन यंत्री, तथा स्थानीय नागरिक गण उपस्थित हुए, जिनका उपस्थित पत्रक सलग्न है।

4. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन सामान्य को लोक सुनवाई के उद्देश्यों से अवगत कराया। तत्पश्चात अपर कलेक्टर (विकास) पन्ना, श्रीमती भावना वालिंबे, की अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई को प्रारम्भ किया गया। परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मोहम्मद सदरे आलम खान, डिप्टी मैनेजर द्वारा परियोजना के संबंध मे तैयार की गई पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित तकनीकी एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं बाबत जानकारी प्रस्तुत की गई, जो **परिशिष्ठ –1–** के अनुसार संलग्न है।

5. आवेदक के प्रस्तुतीकरण के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर द्वारा नागरिकों से विचार व्यक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई मे उपस्थित ग्रामवासियों को परियोजना के संबंध में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने, सुझाव, आपत्ति, टीका टिप्पणी लिखित अथवा मौखिक रूप से करने हेतु निरंतर प्रोत्साहित किया गया तथा लिखित प्रश्नों को आमंत्रित करने हेतु एक प्रश्न प्रारूप नागरिकों में वितरित कराया गया जिसके फलस्वरूप 10 प्रश्न/ आपत्तियों/ सुझाव लिखित/मौखिक रूप से प्राप्त हुए जो मूलतः संलग्न है। प्रश्नों के संबंध मे अभिकथन (स्टेटमेंट) तथा आवेदक की ओर से दिए गए उत्तरों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा मे लिपिबद्ध किया गया। उक्त स्टेटमेंट (हिन्दी एव अंग्रेजी) मूलतः संलग्न है।

6. लोक सुनवाई की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई जिसके छायाचित्र एवं वीडियो सीडी संलग्न है। सभी बिन्दुओं पर लोक सुनवाई के सारांश से नागरिकों को अवगत कराया गया। अंत में अपर कलेक्टर, (विकास) पन्ना

द्वारा लोक सुनवाई के संबंध मे जन सामान्य की आशंकाओं का समाधान होने पर उपस्थित नागरिकों से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण होने की घोषणा की गई। समस्त गणमान्य नागरिकों, को लोक सुनवाई मे उपस्थित होने एवं अपने विचारों को निर्भीक रूप से रखने के लिए धन्यवाद एव आभार ज्ञापित किया गया तथा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

(व्ही.एस.राय)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर (म.प्र.)

(श्रीमती भावना वालिंबे)
अपर कलेक्टर, (विकास)
पन्ना (म.प्र.)

संलग्नक-1-अ

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ग्राम–शाहनगर, तहसील–शाहनगर, जिला–पन्ना में दिनॉक 30/01/2014 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा लिखित/मौखिक रूप से उठाये गये मुद्दों व आवेदकों की टिप्पणी का विवरण–

क.	प्रस्तुतकर्ता का नाम श्री	टीका –टिप्पणी/मुद्दों का संक्षिप्त विवरण	परियोजना प्रबंधन के निराकरण संबंधी प्रस्ताव
मौखिक रूप उठाये गये मुद्दे–			
1	राम बहोरी, पुत्र–दिशंभर ग्राम–कुंडेरिया	इस बाँध के बनने से आवागमन का रास्ता बंद हो जायेगा, आवागमन का साधन न रूके, इसका ध्यान रखा जाये। किसानों को मुआवजा तय समय–सीमा में दिया जाये।	श्री राम बहोरी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में बताया गया कि इस बांध स्थल को नया पुल, पुल निगम द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार बांध का निर्माण स्थानीय क्षेत्र में आवागमन को प्रभावित नहीं करेगा. भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बारे में जन सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि यह मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार, "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" के दिशानिर्देश द्वारा दिया जाएगा। प्रभावित स्थानीय लोगों के भूमि अधिग्रहण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। जिसमें स्थानीय लोगों, ग्राम पंचायत, भूमि और राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
2	छोटेलाल सोंधिया, पुत्र–खिलाड़ी, ग्राम–शाहपुरकलां	बाँध बनने से लाभ है, क्षेत्र की सिंचाई बढ़ जायेगी कोई हानि नहीं है, रोजगार मिलेगा, मुआवजा सही समय पर मिलना चाहिए।	श्री छोटे लाल की सलाह को स्वीकृत किया गया। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बारे में जन सुनवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन द्वारा सूचित किया गया कि यह मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार, "भूमि अधिग्रहण में

W

			उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" के दिशानिर्देश द्वारा दिया जाएगा।
3	हुकुम सिंह, पुत्र–मोतीलाल ग्राम–बहेरिया	हमारी जमीन दब रही है, मुआवजा मिले, जमीन को सिंचित कराया जाये।	जवाब में हुकुम सिंह को बताया गया कि "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" के दिशानिर्देश द्वारा मुआवजा दिया जाएगा तथा इस परियोजना के अधीन जमीन को सिंचित कराया जाएगा।
4	बुद्दुलाल विश्वकर्मा, पुत्र–मनबहोरी, ग्राम–धौलपुर	जो जमीन डूब में जा रही है, उसका मुआवजा दिलाया जाये। जनता इससे दुखी नहीं हो इसका ध्यान रखा जाये।	डूब रहे क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बारे में सूचित किया गया कि यह मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार, "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" के दिशा निर्देश द्वारा दिया जाएगा।
लिखित रूप से प्रस्तुत मुद्दे–			
5	राम बहोरी, पुत्र–विशंभर ग्राम–कुंडेरिया	बाँध बनाया जाये लेकिन इसमें आवागमन को देखा जाये एवं शासन की मंशा के आधार पर पूर्ण मुआवजा दिया जाये एवं समय का ध्यान रखा जाये, भराव को कुछ कम किया जाये और उसी क्षेत्र में एक कैम्प रखा जाये।	श्री राम बहोरी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में बताया गया कि इस बांध स्थल को नया पुल, पुल निगम द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार बांध का निर्माण स्थानीय क्षेत्र में आवागमन को प्रभावित नहीं करेगा. भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बारे में जन सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि यह मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार, "भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" के दिशानिर्देश

W

			द्वारा दिया जाएगा। प्रभावित स्थानीय लोगों के भूमि अधिग्रहण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। जिसमें स्थानीय लोगों, ग्राम पंचायत, भूमि और राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
6	हरिओम प्रकाश गुप्ता, पुत्र–स्व. गोविन्द प्रसाद,	बॉध बनने से हमारी नदी अच्छी तरह भरेगी गॉव के हित में है।	धन्यवाद।
7	सरूपा साहू, पुत्र–बखत साहू	बॉध बनने से खुशी है, नहर जरूर बनायी जाये।	धन्यवाद।
8	सरदार सिंह, पुत्र–कल्याण सिंह	बॉध बनने के पूर्व हमारी जमीन में लगे पौधों का सर्वे कराकर जमीन का मुआवजा हित ग्राहियों को दिलाया जाये।	श्री सरदार सिंह द्वारा उठाए गए सवाल पर सूचित किया गया, डूब रहे क्षेत्र में प्रभावित पेड़ के मुआवजा वनीकरण कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों को अपनी निजी भूमि में वृक्षारोपण के लिए पेड़ों की निः शुल्क पौधा दिया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम राज्य वन विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार ही किया जाएगा।
9	संतोष कुमार सोनी, पुत्र–रल्ली प्रसाद सोनी	बॉध बनने से हमें खुशी होगी।	धन्यवाद।
10	बट्टू चौधरी, पुत्र–दीना	बॉध बनने से वॉटर लेवल बढ़ेगा।	धन्यवाद।

(व्ही.एस.राय)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर

(श्रीमती [illegible] वालिंबे)
अपर कलेक्टर (विकास)
जिला– पन्ना (म0प्र0)

Executive Engineer
Water Resources Divison
Pawai Distt. Panna(M.P.)